(2011) 11, एस 0 सी0 आर 0 425

अब्दुल गफूर व अन्य

बनाम

बिहार राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 1812/2011)

सितम्बर 16, 2011

(आफताब आलम एवं रंजना प्रकाश देसाई जे.जे.)

परिसीमा–विलम्ब के लिए क्षमा–भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323, 447 एवं 452 के अंतर्गत अपराध करने के लिए दोषसिद्धि और सज़ा– पुनरीक्षण याचिका– अपीलार्थीगण ने पंद्रह महीने से अधिक की देरी की माफी की मांग की। पुनरीक्षण याचिका को पटना उच्च न्यायालय ने गुणागुण पर जाये बिना मामला परिसीमा द्वारा वर्जित मानते हुये खारिज कर दिया। अपील पर अभिनिर्धारितः उच्च न्यायालय ने अपीलार्थीगण के पुनरीक्षण को यांत्रिक रूप से परिसीमा से बाधित मानते हुये उसकी परिस्थितियों में कोई छूट दिए बिना खारिज कर दिया। पटना उच्च न्यायालय के नियमों के तहत , दोषसिद्धि के खिलाफ पुनरीक्षण पर याचिकाकर्ता द्वारा निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने के बाद ही विचार किया जा सकता है। इस प्रकार, जब अपीलार्थीगण द्वारा दायर पुनरीक्षण को उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, तो वे पूर्व से ही जेल में थे। यदि गुणागुण के आधार पर पुनरीक्षण खारिज कर दिया जाता, तो अपीलार्थीगण अपनी सजा काटने के लिए जेल में बने रहते। यदि पुनरीक्षण समय पर दायर किया गया होता , तो उनके द्वारा 15 माह पूर्व आत्मसमर्पण कर दिया गया होता और इस तरह 15 महीने पहले ही अपनी सजा पूरी कर ली होती। विलम्ब से पुनरीक्षण दाखिल करने के कारण, पुनरीक्षण खारिज होने की दशा में अपीलार्थीगण अपनी सजा 15 माह बाद पूरी करेंगे। इस प्रकार उच्च न्यायालय को अपीलार्थीगण द्वारा पुनरीक्षण दाखिल करने में हुए विलम्ब को क्षमा करना चाहिए था और गुणागुण के आधार पर उनके मामले की जांच करनी चाहिए थी। पुनरीक्षण याचिका अपने मूल नम्बर पर पुर्नस्थापित– पटना उच्च न्यायालय के नियम।

आपराधिक न्याय प्रशासन– दोषसिद्धि और कारावास की सजा के मामले– परिसीमा कानून को लागू करना– अभिनिर्धारितः ऐसे मामलों में न्यायालय को किसी भी अन्य प्रकार के मामले की तुलना में परिसीमा के कानून को लागू करने में कहीं अधिक उदारता और लचीलापन को अपनाना चाहिए। कारावास की सजा किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है और इसलिए न्यायालय को चाहिए कि वह मामले की गुणागुण को, परिसीमा या किसी अन्य समान तकनीकता के आधार पर समाप्त किये जाने से अनिच्छुक रहे।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार– आपराधिक अपील संख्या–1812/2011

सी.आर.एल.आर. संख्या 1383/2010 में पारित पटना उच्च न्यायालय का निर्णय एवं आदेश दिनांकित – 27.09.2010

अपीलार्थीगण की ओर से– गौरव अग्रवाल।

प्रत्यर्थी की ओर से– अर्धेन्दुमौली कुमार प्रसाद (गोपाल सिंह की ओर से)

न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया।

आदेश

1. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री गौरव अग्रवाल और बिहार राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अर्धेन्दुमौली कुमार प्रसाद को सुना गया।

2 अनुमति स्वीकृत।

3. अपीलार्थीगण को विचारण न्यायालय (न्यायिक मजिस्ट्रेट–प्रथम श्रेणी, किशनगंज) द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 447 और 452 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया था और भारतीय दंड संहिता की धारा 452 के अंतर्गत दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी, अन्य दो अपराध की दण्डावधि कम थी और सभी सजाऐ एक साथ चलने का निर्देश दिया गया था। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश के खिलाफ अपीलार्थीगण द्वारा की गई अपील को सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दिया था। उन्होंने आपराधिक पुनरीक्षण संख्या–1383/2010, उच्च न्यायालय में योजित किया, लेकिन पुनरीक्षण 15 माह से अधिक की देरी से दायर किया गया। अपीलार्थीगण ने यह दलील देते हुए पुनरीक्षण दाखिल करने में विलम्ब की क्षमा मांगी कि वे अपनी आजीविका कमाने के लिए दिल्ली में काम कर रहे थे और उन्हें अपने घर वापस जाने और पुनरीक्षण दाखिल करने के लिए कार्यवाही करने में कुछ समय लगा। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थीगण द्वारा बताए गए कारण को विलम्ब को क्षमा करने के लिए वैध या पर्याप्त नहीं माना और परिणामस्वरूप पुनरीक्षण को परिसीमा से वर्जित होने के आधार पर, मामले के गुणागुण पर जाये बिना, खारिज कर दिया।

4. हम उच्च न्यायालय के मत से असहमत हैं।

5. परिसीमा का कानून वास्तव में कानूनी विधि का एक महत्वपूर्ण कानून है। यह विवेकशील सार्वजनिक नीति के अग्रसरण में उन विवादों अथवा शिकायतों के अंतिम निपटारे के लिए है, जिनका समाधान और निवारण निर्धारित समय सीमा के भीतर नहीं चाहा जाता है। परिसीमा के कानून का उद्देश्य यथोचित समय उपरांत मामले को अंतिम रूप से समाप्त किये जाने का है और किसी को अनिश्चितता की स्थिति में नहीं रहने देने का है। यह किसी को भी प्राचीन और घिसे–पिटे दावों को बढ़ाने की अनुमति नहीं देता है और किसी को अवर न्यायालय के आदेशों में सुधार के लिए या अपनी इच्छानुसार शिकायतों के निवारण के लिए न्यायिक प्रणाली के उच्च स्तर तक पहुंचने की अनुमति नहीं देता है। परिसीमा के कानून को वास्तव में सभी न्यायालयों को उचित सम्मान देना चाहिए व उसका पालन करना चाहिए। हालांकि हम यह आवश्यक रूप से जोड़ते हैं कि दोषसिद्धि और कारावास की सजा के मामलों में, न्यायालय को किसी भी अन्य प्रकार के मामले की तुलना में परिसीमा के कानून को लागू करने में कहीं अधिक उदारता और लचीलापन दिखाना चाहिए। कारावास की सजा किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है और इसलिए न्यायालय को चाहिए कि वह मामले की गुणागुण को, परिसीमा या किसी अन्य समान तकनीकता के आधार पर समाप्त किये जाने से अनिच्छुक रहे।

6. प्रस्तुत मामले के संदर्भ में यह सर्वविदित है कि बड़ी संख्या में लोग बिहार से दिल्ली में रोजी –रोटी कमाने के लिए अपना घर–बार छोड़कर आते हैं। इनमें से बड़ी संख्या असंगठित क्षेत्रों में काम करती है। एक बार रोजी–रोटी कमाने के चक्कर में फंसने के बाद जीवन की अन्य महत्वपूर्ण चीजें जैसे परिवार में विवाह , चिकित्सा उपचार और यहां तक कि आपराधिक कार्यवाही में स्वयं का बचाव करना भी पीछे छूट जाता है। हमारे विचार से उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी का पुनरीक्षण बड़े यांत्रिक रूप से कालबाधित मानते हुए खारिज कर दिया और अपीलार्थीगण की परिस्थितियों पर कोई छूट प्रदान नहीं की गयी।

7. मामले को दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो, पटना उच्च न्यायालय के नियमों के तहत, दोषसिद्धि के खिलाफ पुनरीक्षण पर तभी विचार किया जा सकता है जब पुनरीक्षण– याचिकाकर्ता निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दे। शुक्र है उच्च न्यायालय नियमों के कुछ अन्य प्रावधानों के विपरीत, इस नियम का अभी भी बहुत सख्ती से पालन किया जाता है। इस प्रकार जैसे ही अपीलार्थीगण द्वारा दायर पुनरीक्षण उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है, वो पहले से ही जेल में थे। यदि गुणागुण के आधार पर पुनरीक्षण खारिज कर दिया जाता, तो अपीलार्थीगण अपनी सजा काटने के लिए जेल में बने रहते। यदि पुनरीक्षण समय पर दायर किया गया होता, तो उनके द्वारा 15 माह पूर्व आत्मसमर्पण कर दिया गया होता और इस तरह 15 महीने पहले ही अपनी सजा पूरी कर ली होती। विलम्ब से पुनरीक्षण दाखिल करने के कारण ही यह सब हुआ है कि पुनरीक्षण खारिज होने की स्थिति में वे 15 माह बाद अपनी सजा पूरी करेंगे।

8. उपरोक्त कही गई बातों के आलोक में, हमारा स्पष्ट मानना है कि यह एक उपयुक्त मामला था, जिसमें उच्च न्यायालय को अपीलार्थीगण द्वारा पुनरीक्षण दाखिल करने में हुए विलम्ब को क्षमा करना चाहिए था और गुणागुण के आधार पर उनके मामले की जांच करनी चाहिए थी।

9. तद्नुसार, हम उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज करते हैं और आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 1383/2010 को उसके मूल नम्बर पर पुर्नस्थापित करते हैं। उच्च न्यायालय से अनुरोध है कि वह इस पर सुनवाई करें और इसे शीघ्र निस्तारित करें। इस बीच, अपीलार्थीगण इस न्यायालय द्वारा दी गई जमानत पर बने रहेंगे।

10. उपरोक्त टिप्पणियों एवं निर्देशों के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

अपील निस्तारित

Vetted by:

(Yogesh Kumar-II)
Addl. District & Sessions Judge
Kanpur Nagar.

Digitally signed by YOGESH KUMAR
Date: 2023.11.08 11:26:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court